

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/२०२६/१०१

लखनऊ: दिनांक 27/10/2026

यू०पी० नीट यू०जी०-२०२६ के अन्तर्गत तृतीय चक्र की ऑन-लाईन काउंसिलिंग के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

1. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का आवंटन तृतीय चक्र की मेरिट सूची के आधार पर होगा।
2. प्रथम, द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश न लेने अथवा प्रवेशोपरान्त त्याग-पत्र देने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् ही तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. यू०पी० नीट यू०जी० के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण धरोहर धनराशि निर्धारित तिथि/समय तक जमा किया गया है तथा उनके डाक्यूमेंट का आनलाइन सत्यापन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाइस-फिलिंग प्रक्रिया हेतु अर्ह हैं।
5. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर आनलाइन च्वाइस-फिलिंग की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कालेजों की च्वाइस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक हैं। आनलाइन च्वाइस-फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
6. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में च्वाइस-फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की रिक्त (Vacant)/नॉट रिपोर्टेड (Not reported) एवं रिजाईन (Resign) सीटें Clear-cut vacancy के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त वैकेन्सी के अतिरिक्त Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual vacancies हैं, जोकि पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट-कम-विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी।
7. च्वाइस-फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी की रिक्त सीटों के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणियों की सीटों के विकल्प भी प्रदर्शित होंगे। आवंटन प्रक्रिया के समय यदि कोई आरक्षित श्रेणी की सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्या:।/1448377/2026/71-4099/1011/2022, दिनांक 01.09.2026 में निहित तालिकानुसार अमेलित (Merge) करते हुए सीट आवंटन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस-फिलिंग के उपरान्त च्वाइस-लॉक करना अनिवार्य है, च्वाइस-लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस-लॉक करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव/परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और न ही इस सम्बन्ध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार किया जायेगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोड़कर ही अन्य विकल्प/च्वाइस भरी जाये, अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

12. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
14. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेते हैं, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर लिया जायेगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
15. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।
16. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training U.P. payable at Lucknow) के पक्ष में निर्गत हो, सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी-स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।
17. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चक्र में गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है, तो उन्हें मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य नहीं है।
18. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन/पुनरावंटन प्राप्त होने के फलस्वरूप सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज में रिपोर्ट करेंगे।
19. नीट यू0जी0-2026 हेतु नीति-निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 01.09.2026 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही समस्त चक्रों की काउंसिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।
20. नीट यू0जी0-2026 काउंसिलिंग सम्बन्धी समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिये विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं www.dgme.up.gov.in पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।


कृते महानिदेशक